


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (1) श्रीमती रीता देवी पति हिरवा उराँव (2) श्री जोहरा उराँव पिता लाल देव उराँव (3) मोहरा उराँव पिता लाल देव उराँव (4) श्री रविन्दर पिता बासुदेव ग्राम: देवलगडा, थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराहू, थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) थाना सं० 29 (रैयती भूमि और GMJJ) खाता सं. 134, 202, एवं 278(GMJJ), के अधीन प्लॉट सं० 490, 495, 497, 518, 519, 520, 527, 543, 544(P), 545(P), 551(P), 633, 637, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 631, 1732, 1737, 629 एवं GMJJ प्लॉट सं० 658(658/ख), 636(636/ग) कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: देवलगडा, थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराहू, थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) थाना सं: 29 (रैयती भूमि और GMJJ) खाता सं० 134, 202, एवं 278(GMJJ), के अधीन प्लॉट सं० 490, 495, 497, 518, 519, 520, 527, 543, 544(P), 545(P), 551(P), 633, 637, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 631, 1732, 1737, 629 एवं GMJJ प्लॉट सं० 658(658/ख), 636(636/ग) कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के तहत (1) श्रीमती रीता देवी पति हिरवा उराँव (2) श्री जोहरा उराँव पिता लाल देव उराँव (3) मोहरा उराँव पिता लाल देव उराँव (4) श्री रविन्दर पिता बासुदेव ग्राम: देवलगडा, थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराहू, थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
22/08/22